भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 255] नई दिल्ली शुक्रवार, अक्तूबर 8, 1965/आश्विन 16, 1887

No. 255] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 8, 1965/ASVINA 16, 1887

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय

(उद्योग विभाग)

अधिसूचित आदेश

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1965

एस० ओ० 3162.—जबकि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि मे० हिन्दुस्तान वहिकिल्स लि०, पटना (बिहार) की, जो एक औद्योगिक उपक्रम है और जिसके संबंध में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 के अधीन जांच-पड़ताल की गई थी, इस प्रकार व्यवस्था की जा रही है जो लोकहित के लिए अत्यधिक हानिकारक है ;

अतः अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा 18क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा श्री यू० एन० राय, प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम को (जिसका इसके बाद अधिकृत नियंत्रक के रूप में उल्लेख किया जायेगा) उपर्यक्त सम्पूर्ण उपक्रम, नामतः मे० हिन्दुस्तान वहिकिल्स लि०, पटना का प्रबन्ध निम्नलिखित शर्तों के अधीन अपने अधिकार में लेने का अधिकार देती है; अर्थात् :—

(1) अधिकृत नियंत्रक केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सभी निदेशों का पालन करेगा ;

(2) अधिकृत नियंत्रक इस अधिसूचित आदेश के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लेकर पांच वर्षों तक इस पद पर कार्य करेगा, बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार इस अधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति समाप्त न कर दे, यदि वह ऐसा करना अनिवार्य समझती है ।

2. यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से आरम्भ करके पांच वर्षों की अवधि तक प्रभावी रहेगा ।

[सं० एल० ई० आई० (ए)--26 (15)/64)]

पी० एम० नायक,
संयुक्त सचिव, भारत सरकार ।

PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1965